मानसिक स्वास्थ्य कानून 2007 (Mental Health Act 2007)

सूचीपत्र 3A मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में स्वेच्छा से रहने वाले रोगियों के अधिकारों का वर्णन

वर्ग 74A (3) (Section 74A (3))

अधिकारों का वर्णन

आपके अधिकार

आपको अपने अधिकारों के बारे में और किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में एक रोगी बनने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए प्रश्नों और उत्तरों को पढ़ना चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में मेरे उपचार के बारे में क्या होता है?

यदि आप पूछें तो मेडिकल स्टाफ को आपके उपचार, उपचार के विकल्पों और उपचार के प्रभावों के बारे में आपको बताना होगा। उन्हें आपकी जारी देखभाल के बारे में आपको उपचार योजनाओं व स्वास्थ्य-लाभ योजनाओं के बारे में भी बताना होगा, और यदि आप सहमत होने में सक्षम हों, तो उन्हें अपने साथ आपकी सहमति प्राप्त करनी होगी।

आप किसी भी उपचार के लिए सहमति या मनाही कर सकते/सकती हैं, और आप किसी भी समय उपचार के लिए सहमत होने से मना कर सकते/सकती हैं। आपको अनुपयुक्त या अत्यधिक दवाई नहीं दी जानी चाहिए।

मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में और कौन हो सकता है?

मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में अन्य रोगी बहुत बीमार हो सकते हैं और हो सकता है कि उनकी सहमति के बिना उस मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में उन्हें रखा जा रहा हो और उनका उपचार किया जा रहा हो।

मैं किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा से बाहर कैसे निकल सकता/सकती हूँ?

आप किसी भी समय मानसिक स्वास्थ्य सुविधा छोड़ कर जा सकते/सकती हैं, लेकिन आपको स्टाफ के किसी सदस्य को यह बताने की ज़रूरत है कि आप छोड़ कर जाना चाहते/चाहती हैं। आपको मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट या किसी अन्य प्राधिकृत मेडिकल ऑफिसर द्वारा भी छुट्टी दी जा सकती है, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि आपको एक रोगी के रूप में और अधिक देखभाल या उपचार से लाभ मिलने की संभावना नहीं है।

मुझे अपनी इच्छा के विरुद्ध एक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में कब रखा जा सकता है?

यदि आपको सुविधा के चिकित्सक द्वारा मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या मानसिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति के रूप में प्रमाणित किया जाता है, तो आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रखा जा सकता है। आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध 2 घंटों के लिए रखा जा सकता है, जिससे कि सुविधा का चिकित्सक आपको देख सके व आपको प्रमाणित करने का निर्णय ले सके।

मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति वह व्यक्ति होता जिसे कोई मानसिक रोग होता है और जिसे अपनी खुद की सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा करने के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रखे जाने की ज़रूरत होती है। मानसिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसका व्यवहार यह प्रदर्शित करता है कि उसे अपनी सुरक्षा या अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए थोड़े समय के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रखे जाने की ज़रूरत होती है।

सुविधा आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध रखना जारी नहीं रख सकती है जबतक कि कम से कम एक अन्य चिकित्सक भी आपको मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति या मानसिक रूप से अव्यवस्थित व्यक्ति नहीं पाता है। आपको देखने वाले चिकित्सकों में से कम से कम एक चिकित्सक को मनोचिकित्सक होना चाहिए।

क्या मेरे बारे में निर्णयों की या मेरे मामले की कोई समीक्षा की जाएगी?

यदि मानसिक स्वास्थ्य सुविधा का कोई चिकित्सक जो मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट नहीं है, आपको एक स्वैच्छिक रोगी के रूप में भर्ती करने से मना करता है या आपको सुविधा से छुट्टी देने का निर्णय लेता है, तो आप उस निर्णय की समीक्षा करने के लिए सुविधा के मेडिकल सूपरिन्टेन्डन्ट से पूछ सकते/सकती हैं।

यदि आप 12 महीनों से अधिक के लिए किसी मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में एक रोगी के रूप में रहे/रही हैं, तो मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा ट्रिब्यूनल (Mental Health Review Tribunal) आपके मामले की समीक्षा करेगा और यह भी पता लगाएगा कि क्या आपने एक रोगी के रूप में रहने के लिए सहमति दी है। ट्रिब्यूनल आपके मामले की समीक्षा करने के बाद आपको छुट्टी दी जाने का आदेश दे सकता है।

क्या मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे इलेक्ट्रो कन्वल्सिव उपचार (ईसीटी) दिया जा सकता है?

नहीं।

मैं मदद के लिए किससे पूछ सकता/सकती हूँ?

आप सुविधा के किसी भी स्टाफ सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, चिकित्सक, सरकारी आगंतुक, पादरी, अपने खुद के वकील या मानसिक स्वास्थ्य वकालत सेवा (Mental Health Advocacy Service) से मदद के लिए पूछ सकते/सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य वकालत सेवा का टेलीफोन नंबर 02 9745 4277 है।

क्या मैं एक आधिकारिक आगंतुक से मिल सकता/सकती हूँ?

आप सुविधा स्टाफ के किसी भी सदस्य से पूछ सकते/सकती हैं कि आप किसी आधिकारिक आगंतुक से मिल सकते/सकती हैं या नहीं। स्टाफ आधिकारिक आगंतुक से मुलाकात के लिए व्यवस्था करेगा।

क्या मैं अपनी ओर से कार्य करने के लिए किसी दोस्त या संबंधी से पूछ सकता/सकती हूँ?

आपके मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में होने के समय आप अपने नामित देखभालकर्ताओं के रूप में अधिकतम 2 लोगों को नामित कर सकते/सकती हैं, जिसमें एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जो आपका मुख्य देखभाल-प्रदाता है। नामित देखभालकर्ता या आपका मुख्य देखभाल-प्रदाता आपकी ओर से जानकारी के लिए पूछ सकता है और यदि आपको एक मानसिक स्वास्थ्य सुविधा में रखा गया है, आपको स्थानांतरित किया गया है या छुट्टी दी गई है या आपके लिए विशेष मानसिक स्वास्थ्य उपचार प्रस्तावित किए गए हैं, तो उसे सूचित किया जाएगा। यदि आपको छुट्टी दी जाती है, तो आपके पास और किसी नामित देखभालकर्ता या ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति के पास जो आपका मुख्य देखभाल-प्रदाता है, फॉलो-अप उपचार के बारे में जानकारी दिए जाने का अधिकार भी है।